अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक सबराती अंसारी ....प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम हलीम अंसारी वगै० ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....182..........**सन् 2021**

धारा 144 **द०प्र०स०**

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
08/10/21	अभिलेख उपस्थापित। मैंने थाना प्रभारी बगोदर के अ० सं० 10/21 दिनांक 04/10/21 के द्वारा समर्पित किया गया जांच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है, एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। अतः तथ्यों के आलोक	

आर तारीख		टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 145 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कोई कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 31.01.21 को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं उक्त पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। विवादित भूमि का विवरण - मौजा औरी, खाता सं0 155, प्लाट सं0 623, रकबा - 90डी0 में से 08 डी0 भी0 ए0 - डॉ0 इस्लाम के जमीन का जी0टी0 रोड पूरब : मस्जिद और प0 : डॉ0 इस्लाम का मेडिकल दुकान [illegible] एवं संशोधन [illegible signature] [illegible signature]	

		टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21/10/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया। प्रश्नगत भूमि पर मकान एवं दुकान बना हुआ है। प्रथम पक्ष के द्वारा इसका विरोध किया गया तथा अपना पक्ष रखने हेतु समय की मांग की गई। बहस हेतु दिनांक 28/10/21 को रखें। 21/10/21	
28/10/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। अभिलेख 18/11/21 को रखें। अनु० पदा०	
18/11/21	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष वकालतन हाजिर है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	का अवलोकन किया गया। थाना प्रभारी बगोदर द्वारा दिनांक 25/10/21 को प्रतिवेदित किया गया है कि प्रक्रिया की तामील घर दुकान पूर्व से बना हुआ है तथा कुछ हिस्सा खाली है। पूर्वज्ञान और थाना प्रभारी बगोदर के प्रतिवेदन दिनांक 04/10/21 के आधार पर प्रारम्भ किया गया था जिसमें दुकान के होने का उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार थाना प्रभारी, बगोदर द्वारा परस्पर विरोधी प्रतिवेदन दिया गया है। अतः उक्त प्रतिवेदन से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तथा विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मात्र प्रतिवेदन के आधार पर वाद चलाना उचित नहीं होगा। अतः वाद की कार्यवाही बंद की जाती है। स्थाई समाधान हेतु उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। 18/11	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.11.24 11:42:57 +05:30
Location: 192.168.43.238